

नयी कर व्यवस्था

केवल एक कर (टैक्स) 1 अप्रैल से लागू कर उसे छोटे -छोटे लोक सेवा केन्द्रों के मार्फत इकट्ठा करने की व्यवस्था । ये केन्द्र ही आपके भले के लिए काम करेंगे – एक लोक सेवा कानून के तहत और निम्न दरों से टैक्स इकट्ठा करेंगे (बिल भेजकर):-

मद	सालाना कर
कार 5 लाख तक	रु 10,000
जीप/बड़ी कार	रु 20,000
ट्रक/केंटर/बस/ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन	रु 30,000
छोटा व्यवसायिक वाहन/आटो आदि	रु 10,000
रिहायशी भूमि / मकान	रु 450 प्रति वर्ग गज
व्यवसायिक भूमि/ भवन	रु 900 प्रति वर्ग गज
कृषि भूमि	रु 2000 प्रति एकड़
सरकारी भूमि / भवन	रु 90 प्रति गज
व्यापारिक/सेवा	मासिक कर
उत्पादन /निर्माण् उद्योग	कुल बिक्री का 2%
थोक व्यापार	कुल बिक्री का 2%
फुटकर व्यापार	कुल बिक्री का 3%
सेवा क्षेत्र	कुल प्राप्ति का 3%
छठे – रिहायशी मकान – 30 वर्ग गज , बिक्री/प्राप्ति -5 लाख(सी.ए प्रमाणित) ,NGO- चैरिटी पर खर्च रकम (सी.ए प्रमाणित) सरकारी संस्था -केवल ग्रांट । विदेशी मसौदों और शेयरस पर केन्द्र कर लेगा ।	अन्य खर्च दिखाये 15 लाख असल में 10 लाख कुल आय (120-80-13.14-10) = 16.86 घर खर्च 5 लाख घटाकर बचे – 11.86 लाख . आय दिखाई (5-0.22)=4.78 सरकारी निवेश – 1 लाख
आपने देखा कि लोगों द्वारा कम आय दिखाने से काला धन बनता है और सरकार पर पैसे की किल्लत बनी रहती है । इस नयी कर व्यवस्था से यह समस्या (प्राव्लम) ठीक होगी । लोक सेवा केन्द्र आपके पास आपके लिए होंगे । करों का एक बराबर भाग अपने पास रख बाकि राज्य सरकार के मार्फत केन्द्र सरकार पर पहुँचेगा । सभी का ही फायदा होगा । विस्तार से जानने के लिए देखें साइट www.actionforchange.co.in या फोन करें -9818659997 । नयी व्यवस्था से मि. क को लाभ् - बिल न बिल से उपजे तनाव से मुक्ति , सारा धन सफेद , सरकारी विनियोग पर कर मुक्त ब्याज,आसपास साफ सफाई , अपराध कम , लोक सेवा केन्द्र से सभी सेवायें , खातें सरल। सरकार को लाभ- पिछडे क्षेत्रों का विकास,जनता का समान वितरण , स्कूलों और हस्पतालों पर नियंत्रण ,सुध़र रखरखाव और निरीक्षण ,पारदर्शिता संभव ।	

उदाहरण

कैसे इस व्यवस्था से अधिक आय और सम्पत्ती वाले अधिक कर देंगे और कैसे काले धन की उपज रुकेगी – इस उदाहरण से समझें । कर देने के बाद बची आय भी खुलकर अधिक से अधिक सरकार के हाथ में होगी जो लोक सेवा केन्द्र आपकी बुनियादी ज़रूरतें – शिक्षा ,समझ , साफ सफाई , रोटी और रोज़गार आदि में खर्च करेंगे ।

मि. क के पास 250 गज का दो तल वाला एक घर,एक स्कूटर,दो कारें, एक 1000 गज की फैक्टरी ज़हा से एक महीने में 5 लाख बिल से और 5 लाख बिना बिलों के नगद में बिक्री होती है क्षेत्र A में हैं । क्षेत्र B में 200 गज के तीन प्लाट हैं और क्षेत्र C में 3 एकड़ का एक फार्म हाउस है। सभी खर्चों के बाद उनकी सालाना आयकर योग्य आय 5 लाख और छठ योग्य सरकारी निवेश 1 लाख है ।

वर्तमान व्यवस्था में कर और निवेश

नयी व्यवस्था में कर और निवेश

क्षेत्र A में – कारों पर	रु 20,000
दो तल वाले घर पर	रु 2,25,000
फैक्टरी पर	रु 9,00,000
120 लाख बिक्री पर	रु 2,40,000
क्षेत्र B में- तीन प्लाटों पर	रु 2,70,000
क्षेत्र C में – फार्म हाउस पर	रु 6,000
(सारी कृषि भूमि)	
	16,61,000

कुल आय (120लाख- 80-16.61-10)= 13.39

घर खर्च 5 लाख घटाकर सरकारी निवेश=8.39 लाख

कुल आय (120-80-13.14-10) = 16.86

घर खर्च 5 लाख घटाकर बचे – 11.86 लाख . आय दिखाई (5-0.22)=4.78 सरकारी निवेश – 1 लाख

पढ़े , समझें और वोट देने वालों को दें या समझायें

(सभी के लिए आसान भाषा में)

काले धन की उपज ही आपके बच्चों और पास पड़ोस के सही विकास में रुकावट है। कई लोगों के रहन सहन का निम्न स्तर , कई बच्चों का स्कूल न जाना या बीच में छोड़ना , डिस्पैसरी में सौतेला व्यवहार , स्कूल छोड़ने वालों को काम में टरेनिंग (सिखाना) की कमी , युवाओं का एकतरफा विकास और गंदी आदतें और मंहगाई - सबका कारण काला धन है ।

कर (टैक्स) न देने या कम कर देने से काला धन बनता है । ऐसा नहीं कि सभी लोग जान बूझ कर यह धन बनाते हैं - इसका मुख्य कारण आज की दूषित और बिगड़ी हुई कर व्यवस्था है । एक्साइज, कस्टम इयूटी, इनकम टैक्स , वैट , सर्विस टैक्स और प्रोपर्टी टैक्स जो कि ऊँची आय वालों से टैक्स लेकर देश के विकास और नीची आय वालों के कल्याण पर खर्च के लिए लगाये गये हैं - नासमझ और गरीब की भलाई के लिए बचते ही नहीं (कम रहते हैं) और कई लोगों को छोटी -2 रेढ़ी लगाकर , रिक्षा चलाकर , पटरी पर ही दुकान लगाकर या ऐसे ही छोटे छोटे कामों से गंदगी में गुजारा चलाना पड़ता है । वो भी डर डर कर ।

शहरों में काला धन बहने से युवा लोग वहां भागते हैं और देश का सब तरफ विकास नहीं हो पाता। टैक्स बढ़ाने या सख्ती से जो कर इकट्ठा होता है वह कल्याण की स्कीम के मार्फत स्कूल , कॉलेज , हस्पताल बिल्डिंग आदि बनाने में खर्च किया जाता है लेकिन छोटे लोगों की बुनियादी जरूरतें - रोटी, कपड़ा , मकान, अच्छी शिक्षा या टरेनिंग और साफ सफाई अनदेखी रह जाती हैं । साथ ही सरकारी व्यवस्थायों में सुधारों के लिए एक सख्त और स्वतंत्र लोकपाल की भी अति आवश्यकता है ।

तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने प्यारे नेता - एम .एल.ए आदि से 'जन लोकपाल बिल' और ' नयी कर व्यवस्था ' जो कि पीछे दी गयी है और काले धन की उपज को रोकती है और आपको उचा उठाने के लिए है - को ऊपर सेंटर पर पँहुचाने के लिए कहें । आपका वोट कीमती है । आप ही चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। थोड़ी सी सुविधा या लालच में वोट न दें । जन लोकपाल और नयी कर स्कीम अवश्य ही आपका भला करेगी ।

जन लोकपाल बिल क्या और कैसे के लिए देखे साइट - www.indiaagainstcorruption.com

नयी कर स्कीम क्यों और कैसे के लिए देखे साइट - www.actionforchange.co.in

--जय हिन्द --

तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने प्यारे नेता - एम .एल.ए आदि से ' नयी कर व्यवस्था ' जो कि पीछे दी गयी है और काले धन की उपज को रोकती है और आपको उँचा उठाने के लिए है - को ऊपर सेंटर पर पहुंचाने के लिए कहे । आपका वोट कीमती है । आप ही चाहे तो बदलाव ला सकते हैं।

थोड़ी सी सुविधा या लालच में वोट न दें । नयी कर स्कीम अवश्य ही आपका भला करेगी ।

अधिक जानकारी के लिए देखें साइट - www.actionforchange.co.in

पढ़े , समझें और दूसरों को दें

(कम पढ़े लिखे के लिए आसान भाषा में)

काले धन की उपज ही आपके और आपके बच्चों और पास पड़ोस के सही विकास में रुकावट है। आपके रहन सहन का निम्न स्तर , बच्चों का स्कूल न जाना या बीच में छोड़ना , डिस्पैसरी में सौतेला व्यवहार , काम में टरेनिंग (सिखाना) की कमी और मंहगाई - सबका कारण काला धन है ।

कर (टैक्स) न देने या कम कर देने से काला धन बनता है । ऐसा नहीं कि सभी लोग जान बूझ कर यह धन बनाते हैं - इसका मुख्य कारण आज की दूषित और बिगड़ी हुई कर व्यवस्था है । एक्साइज, कस्टम इयूटी, इनकम टैक्स , वैट , सर्विस टैक्स और प्रोपर्टी टैक्स जो कि ऊँची आय वाला[े] से टैक्स लेकर देश के विकास और नीची आय वालों के कल्याण पर खर्च के लिए लगाये गये हैं - नासमझ और गरीब की भलाई के लिए बचते ही नहीं (कम रहते हैं) और आपको छोटी -2 रेढ़ी लगाकर , रिक्षा चलाकर, पटरी पर ही दुकान लगाकर या ऐसे ही छोटे छोटे कामों से गंदगी में गुजारा चलाने पड़ता है । वो भी डर डर कर ।

शहरों में काला धन बहने से आप वैहा भागते हैं और देश का सब तरफ विकास नहीं हो पाता। टैक्स बढ़ाने या सख्ती से जो कर इकट्ठा होता है वह कल्याण की स्कीम के मार्फत स्कूल , कॉलेज , हस्पताल बिल्डिंग आदि बनाने में खर्च किया जाता है लेकिन छोटे लोगों की बुनियादी जरूरतें -रोटी, कपड़ा अच्छी शिक्षा या टरेनिंग और साफ सफाई अनदेखी रह जाती हैं ।

